न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

नियमित जमानत याचिका संख्या– 2193/2017

बच्चालाल साह ..... आवेदक

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षी

आदेश

03.11.17 प्रस्तुत वाद आज आवेदक/अभियुक्त बच्चालाल साह, जो दिनांक 26.07.17 से घोड़ासहन थाना कांड संख्या– 76/11 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 504, 427, 379, 386, 435 भा.दं.वि. में कारा अभिरक्षा में है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ।

पुकार पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री कामेश्वर प्रसाद सिन्हा एवं विद्वान लोक अभियोजक श्री जे0 पी0 मिश्र न्यायालय में उपस्थित हुए।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वह निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में अग्रिम जमानत याचिका संख्या– 1140/16 को छोड़कर कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। इनकी तरफ से यह भी कहा जाता है कि आवेदक/अभियुक्त का नाम प्राथमिकी में नहीं था। इनके पास से कोई बरामदगी नहीं है। इनका नाम सह अभियुक्त नन्हक पासवान के दोष स्वीकारोक्ति के बयान में आया है तथा आरक्षी अधीक्षक द्वारा अपने सुपरविजन में भी इनका नाम आया है। इनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि इस वाद के सभी सह अभियुक्तों का

लगातार

03.11.17

जमानत हो चुका है। इनकी तरफ से यह भी कहा जाता है कि सह अभियुक्त जयलाल पंडित उर्फ जगलाल पंडित उर्फ मास्टर जी का जमानत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा क्रिमि0 मिस0 नं0–7150/16 दिनांक 12.04.16 द्वारा हो चुका है। उसी आदेश के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि अन्य सह अभियुक्त नन्हक पासवान का जमानत भी माननीय न्यायालय द्वारा क्रिमि0 मिस0 नं0– 46624/12 द्वारा हो चुका है। आवेदक/अभियुक्त का भी वाद उसी तरह का है। यह दिनांक 26.07.17 से कारा अभिरक्षा में है। अतः प्रार्थना करते है कि आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किया जाए।

विद्वान लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते है।

अभियोजन का संक्षेप में वाद है कि सूचक राजेन्द्र कुमार ने अपना लिखित आवेदन थाना प्रभारी, घोड़ासहन को दिया, जिसमें कथन किया कि वह माधो राम के चिमनी भट्टा पर डेड मिस्त्री के रूप में काम करता है। बीते रात लगभग 10 बजे रात में 15–20 अज्ञात उपद्रवी हरवे–हथियार के साथ आए और बोले कि भट्टा मालिक माधो राय कहां है, पैसा नहीं भेज रहा है। हमलोग बो कि घर पर होंगे। इस पर एक व्यक्ति चीमनी ऑफिस में रखे लगभग 40 लीटर डीजल निकाल कर ट्रेक्टर में आग लगा दिया, जिससे वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। एक व्यक्ति हमलोग से तीन मोबाईल निकाल लिया। इसके बाद उपरोक्त उपद्रवी चीमनी भट्ठा पर तोड़–फोड़ करते हुए लगभग एक घंटा तीस मिनट के बाद पश्चिम तरफ भाग निकला।

सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर घोड़ासहन थाना कांड संख्या– 76/11 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 504, 427, 379, 386, 435 भा.दं.वि. किया गया।

उभय पक्षों को सुनने के उपरांत इस अभिलेख के साथ–साथ एवं विद्वान निम्न न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध मूल एवं पूरक वाद दैनिकी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त का नाम सह

लगातार

03.11.17

अभियुक्त नन्हक पासवान के स्वीकारोक्ति बयान में आया है। नन्हक पासवान एवं जगलाल पंडित तथा मनोज का जमानत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा हो चुका है। आवेदक/अभियुक्त का वाद भी उसी तरह का है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में मेरे विचार से आवेदक/अभियुक्त बच्चालाल साह को 10,000/– (दस हजार रुपये) एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभूओं द्वारा बंधपत्र दाखिल किए जाने पर विद्वान निम्न न्यायालय की संतुष्टि पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि दो जमानतदारों में एक जमानतदार उनका अपना नजदीकी रिश्तेदार हो, जिससे उसका खून का रिश्ता हो तथा वह विचारण के दौरान व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा। उसकी तरफ से दो लगातार तिथियों पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व अनुमति के बगैर अनुपस्थित रहने पर उसका बंधपत्र स्वतः रद्द हो जाएगा।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।